जीसीएमएस नं.2025/70

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 04/2025

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, जाति यादव, निवासी पीएन–24 हनुमान चौक, श्रीगंगानगर।
2. यादव स्वीट्स, वृद्धाश्रम रोड, दुकान नं. 81, मधुबन कॉलोनी, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा सामग्री 02 सिलेण्डर मय 12.8 किलोग्राम गैस को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी परसाराम यादव।

निर्णय

दिनांकः 24.04.2025

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 26.03.2025 को यादव स्वीट्स, वृद्धाश्रम रोड़, दुकान नंबर 81, मधुबन कालोनी, श्रीगंगानगर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** उम्र 45 साल जाति यादव निवासी पीएन–24 हनुमान चौक, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई/नमकीन बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी गैस कम्पनी के है। मौके पर पाये गये 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** की दुकान पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 12.8 किलोग्राम गैस को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **राजुखान पुत्र श्री माडूदीन उम्र 43 साल जाति छींपा निवासी 2 एमएल, नाथांवाली कार्यकर्ता राजश्री गेस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा तैयार किया गया। अतः श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 12.8 किलोग्राम गैस का दुरूप्योग किया जा रहा था। **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3 (1) (ख) (ग), 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 12.8 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमायें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी ने कभी भी घरेलू गैस सलेण्डरो का उपयोग अवैध कार्य मे नही किया गया है, प्रार्थी पर लगाये गये आरोप झूठे व बेबुनियाद है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध जारी किया गया नोटिस निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली दाखिल दफतर फरमाई जावे। आपकी अति कृपा होगी।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 26.03.2025 को यादव स्वीट्स, वृद्धाश्रम रोड़, दुकान नंबर 81, मधुबन कालोनी, श्रीगंगानगर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** उम्र 45 साल जाति यादव निवासी पीएन–24 हनुमान चौक, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई/नमकीन बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी गैस कम्पनी के है। मौके पर पाये गये 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** की दुकान पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 12.8 किलोग्राम गैस को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **राजुखान पुत्र श्री माडूदीन उम्र 43 साल जाति छींपा निवासी 2 एमएल, नाथांवाली कार्यकर्ता राजश्री गेस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा तैयार किया गया। अतः श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 12.8 किलोग्राम गैस का दुरूप्योग किया जा रहा था। **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3 (1) (ख) (ग), 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 12.8 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 26.03.2025 को यादव स्वीट्स, वृद्धाश्रम रोड़, दुकान नंबर 81, मधुबन कालोनी, श्रीगंगानगर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** उम्र 45 साल जाति यादव निवासी पीएन–24 हनुमान चौक, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई/नमकीन बनाने में किया जाता है। मौके पर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

उक्त दुकान पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी गैस कम्पनी के है। मौके पर पाये गये 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** की दुकान पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 12.8 किलोग्राम गैस को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **राजुखान पुत्र श्री माडूदीन उम्र 43 साल जाति छींपा निवासी 2 एमएल, नाथांवाली कार्यकर्ता राजश्री गेस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा तैयार किया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जा रहा था। अतः अप्रार्थी **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) QRDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग), 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः अप्रार्थी **श्री परसाराम यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह** से मौके पर जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 12.8 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर